सत्यमेव जयते

भारत सरकार

दिशानिर्देश

लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम का घटक

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त का कार्यालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110 108
www.dcmsme.gov.in

मई 2010

विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 द्वारा प्रकाशित
तारा आर्ट प्रिंटर्स प्रा.लि. बी–4, हंस भवन, नई दिल्ली–110002 द्वारा मुद्रित

माधव लाल
अपर सचिव एवम्
विकास आयुक्त

MADHAV LAL
Additional Secretary &
Development Commissioner

सत्यमेव जयते

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मन्त्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

'A' WING, 7TH FLOOR, NIRMAN BHAVAN,
NEW DELHI-110108
Phones : 23061176, Fax : 23062315

04 मई, 2010

प्राक्कथन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) शुरू किया है। एनएमसीपी के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उन्नत करना और विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऊर्जा संरक्षित करना, तथा साथ ही भारतीय एमएसएमई उत्पादों का घरेलू व वैश्विक बाजार अंश बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत, 10 घटकों की संकल्पना की गई है:

- लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना
- गुणवत्ता प्रबंधन मानकों/गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स (क्यूएमएस/क्यूटीटी) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी होने में मदद करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में आईसीटी (सूचना व संचार प्रौद्योगिकी) का संवर्धन
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रौद्योगिकी व गुणवत्ता उन्नयन समर्थन (टीइक्यूयूपी)
- विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
- लघु एवं मध्यम उद्यम को विपणन समर्थन/सहायता (बार कोड)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लीनिक योजना
- मिनी टूल रूमों की स्थापना
- बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान
- इनक्यूबेटरों के द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यम के उद्यमिता व प्रबंधकीय विकास के लिए सहयोग

इस पुस्तिका में 'लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना' के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की लीन विनिर्माण तकनीकों के अनुप्रयोग द्वारा उचित व्यक्तिगत प्रबंधन, स्थान का बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक तालिका प्रबंधन, उन्नत प्रक्रिया प्रवाह, कम इंजीनियरिंग समय आदि के माध्यम से उनकी विनिर्माण लागत को कम करने में सहायता करना है। योजना जुलाई, 2009 से प्रचालन में है।

एनएमसीपी की सफलता राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे तकनीकी संस्थानों और पेशेवरों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी पर निर्भर है।

आशा है कि लघु पुस्तिकाओं के रूप में दिशानिर्देशों के इस प्रकाशन से योजनाओं के उद्देश्यों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए परिकल्पित भूमिका और प्रक्रिया के बारे में सूचना के प्रचार एवं प्रसार में सहायता मिलेगी।

माधव लाल

(माधव लाल)

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	3
1.	परिचय	7
2.	सिंहावलोकन	7
3.	योजना	8
4.	लीन विनिर्माण स्कीम के उद्देश्य	9
5.	विकास आयुक्त (एमएसएमई)	9
6.	कार्यान्वयन संरचना	9
7.	वित्तीय सहायता	10
8.	कवरेज और पात्रता	10
9.	कार्यान्वयन ढांचा	10
10.	कार्यान्वयन समय सीमा	14
11.	अनुमोदन प्रक्रिया	14
12.	निधि स्थानांतरण की पद्धतियां	15
13.	एमसी/एसपीवी द्वारा आवेदन हेतु प्रपत्र–अनुबंध 1	16
14.	मुख्तारनामा–अनुबंध 2	18

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

सीएमटीआई	–	केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान
सीपी	–	शर्त पूर्ववर्तिता
डीसी (एमएसएमई)	–	विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
डीजीएफएएसएलआई	–	महानिदेशक कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान
जीओआई	–	भारत सरकार
जीडीपी	–	सकल घरेलू उत्पाद
आईए	–	कार्यान्वयन एजेंसी
आईएफडब्ल्यू	–	एकीकृत वित्त स्कंध
आईएलओ	–	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
एलएमसी	–	लीन विनिर्माण परामर्शदाता
एलएमएस	–	लीन विनिर्माण योजना
एमएसएमई–डीआई	–	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम–विकास संस्थान
एमसी	–	मिनी क्लस्टर
एमएसएमई	–	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एनएमसीसी	–	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद
एनएमसीपी	–	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम
एनएमआईयू	–	राष्ट्रीय निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई
एसवीपी	–	विशेष प्रयोजन वाहन
एसएससी	–	छानबीन एवं संचालन समिति
टीएंडसी	–	निबंधन एवं शर्तें
टीएसी	–	तकनीकी सलाहकार समिति

लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

परिचय

विकास आयुक्त, (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए लीन विनिर्माण (एलएम) योजना का कार्यान्वयन करेंगे। योजना का उद्देश्य विभिन्न लीन विनिर्माण तकनीकों को परिचालित करके एमएसएमई की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। सामान्य पहुँच में सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन सहित चुने हुए समूहों में चयनित एमएसएमई के साथ कार्य करने हेतु लीन विनिर्माण परामर्शदाता को नियुक्त करना शामिल है। प्रत्येक समूह के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के लिए सहायता प्रथम वर्ष तक सीमित होगी, जिसमें देश भर में फैले 100 मिनी क्लस्टर (प्रति क्लस्टर लगभग 10 एमएसएमई) शामिल होंगे।

2.0 सिंहावलोकन

2.1 विनिर्माण को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मुख्य इंजिन के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर प्राप्त करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास करना होगा। एमएसएमई क्षेत्र में शामिल 114 लाख इकाइयां सकल औद्योगिक उत्पादन के लगभग 40 प्रतिशत के लिए लेखाकरण द्वारा विनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो गई हैं।

2.2 दीर्घकालीन विकास दर प्राप्त करने हेतु विनिर्माण क्षेत्र को के लिए वैश्वीकरण द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना करने प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण करने और कायम रखने की आवश्यकता है।

2.3 योजना के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र को लीन विनिर्माण तकनीकों के अनुप्रयोग द्वारा उचित व्यक्तिगत प्रबंधन, स्थान का बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक तालिका प्रबंधन, उन्नत प्रक्रिया प्रवाह, कम इंजीनियरिंग समय व अन्य के माध्यम से उनकी विनिर्माण लागत को कम करने में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना मूल रूप से विनिर्माण में ''अपशिष्ट'' को कम करने में एक व्यवसायिक पहल है। योजना उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और लागत में कमी करती है जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मुकाबले के लिए आवश्यक है।

2.4 योजना का कार्यान्वयन विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) की समग्र निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में एक एसपीवी गठित किया जाएगा। आशा है कि एक बार एमएसएमई को एलएम तकनीक से लाभ और बचत प्राप्त होती है दूसरे वर्ष से आगे अपने स्वयं के खर्च पर वे स्वयं योजना को चालू रखेंगे। लगभग 10 अथवा इतने ही समूह के साथ एक त्रिस्तरीय कार्यान्वयन ढांचा बनाया जाएगा जिसमें न्यूनतम स्थानीय स्तर पर एमएसएमई और उच्चतम स्तर पर एक लीन विनिर्माण परीक्षण और संचालन समिति होगी।

3.0 योजना संकल्पना

3.1 लीन विनिर्माण के लिए आवश्यकता

हमेशा परिवर्तनशील वैश्वीकृत पर्यावरण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों के लिए प्रतिस्पर्धा एवं उत्तरजीविता की चुनौतियां खड़ी कर रहा है। यह विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों के लिए अधिक ही रहा है। यह देखा गया है कि इकाइयां

दिनोंदिन प्रबंधन के मुद्दों में इतनी व्यस्त हैं कि उनके पास अनुकूल ज्ञान के लिए समर्पित करने और विभिन्न तकनीकों के साधन जुटाने का समय और साधन नहीं है जो उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में और विश्व में प्रतिस्पर्धी होने में उनकी मदद कर सके। लीन विनिर्माण तकनीकों का एक सेट है जो लंबी अवधि के बाद विकसित हुआ है और जो विभिन्न छोटे और बड़े भेदनों पर आधारित है जो लागत कम करने में मदद करता है और इसलिए उत्पादकता बढ़ाता है। प्रत्येक के संक्षिप्त विवरण के साथ मुख्य एलएम तकनीकों की सूची नीचे दी गई है :

1. **5एस प्रणाली :** 5एस प्रणालियां एक कार्यस्थल संगठन है जो कार्य क्षेत्र से 'बेकार चीजों' को बाहर करने में मदद करती है और प्रक्रियाओं का एक सेट है ताकि उसे उसी प्रकार रखा जा सके। 5एस छंटाई, क्रम में रखना, चमक, मानकीकृत और कार्यक्षम के लिए है।

2. **दृश्य नियंत्रण :** कार्टून्स, चार्ट्स लाइट सिग्नल्स, फर्श पर लेन चिह्नांकन, सुरक्षा निर्देश, चेतावनी चिह्न, पोका योके निर्देश आदि जैसे दृश्य नियंत्रणों को समस्त कार्यस्थल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

3. **मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) :** कुशल कार्मिकों पर निर्भरता हटाने के लिए वांछित उत्पाद गुणवत्ता स्तर, सामंजस्य प्रभाविता और दक्षता प्राप्त करने में समस्त मौखिक निर्देशों को एसओपी में बदला जाएगा।

4. **सही समय पर (जेआईटी) :** सही उत्पाद, सही मात्रा और सही समय पर बनाने के लिए यह जापानी विनिर्माण दर्शन है। यह लगभग शून्य सामान सूची में और न्यूनतम संभव समय चक्र में परिणाम देता है।

5. **कानबान प्रणाली :** इसमें अवयवों को असेम्बली या परवर्ती कार्य केन्द्रों द्वारा खींचा जाता है और डिब्बों को पूर्ववर्ती कार्य केंद्र सही मात्रा में भरा जाता है, जो अवांछित घटकों की शून्य सामान सूची को घटाता है।

6. **सेल्यूलर लेआउट :** इस उन्नत विनिर्माण प्रणाली में, वंशवार घटक समापन का लक्ष्य, पारंपरिक कार्यात्मक लेआउट में परिचालनवार समापन की तुलना में स्वत: पूर्ण सेल में रखा गया है, जो एक बड़े कारखाने का एक भाग है।

7. **उपयोगिता प्रवाह मापन :** यह दोनों मूल्य संवर्धित और गैर-मूल्य संवर्धित सभी गतिविधियों को शामिल करता है और उत्पाद निर्माण के लिए आवश्यक सभी स्रोतों के सर्वोत्तम अभिन्यास पर पहुंचने में मदद करता है।

8. **पोका योके अथवा अशुद्धि परीक्षण :** यह पुन: एक जापानी तकनीक है जिसका उपयोग उनकी उत्पत्ति के स्रोत में आने वाली त्रुटियों को बचाने के लिए किया जाता है और यह अंतत: 'शून्य दोष स्थिति' ले आता है।

9. **डाइस का एकल मिनट विनिमय अथवा तत्काल परिवर्तनशीलता (एसएमईडी) :** साधारण विधि में लागू करते हुए, सेट अप समय को न्यूनतम किया जाता है और दस मिनट से कम में लाया जाता है, ग्राहक की आवश्यकतानुसार छोटे बैचों में विनिर्माण के लिए लिया जा सकता है।

10. **टीपीएम (कुल उत्पादक अनुरक्षण) :** टीपीएम में किसी उपकरण के समस्त प्रचालन में सुधार करने में एक साथ कार्यरत प्रचालक, अनुरक्षण स्टाफ और प्रबंधन शामिल हैं। प्रचालक, जो सबसे पहले शोर मचाने वाली या कंपन करने

वाली मोटरों, तेल और हवा के रिसावों की पहचान करते हैं, को प्रमुख और कीमती खराबियों को रोकने के लिए साधारण मरम्मत करने में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

11. **काइजेन ब्लिट्ज अथवा त्वरित सुधार प्रक्रिया :** यह एक गहन प्रबंधन कार्यक्रम है जो तत्काल परिवर्तन और आधार रेखा सुधार में परिणाम देता है। इसमें प्रबंधन स्टाफ और कर्मचारी दोनों शामिल हैं।

4.0 लीन विनिर्माण योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य निम्न के साथ एलएम तकनीक के अंगीकरण द्वारा एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है :

- अपशिष्ट कम करना
- उत्पादकता बढ़ाना
- व्यापक प्रतिस्पर्धा सुधार के लिए अभिनव प्रक्रिया को लागू करना।
- अच्छी प्रबंध प्रणालियां धारण करना
- सतत सुधार की संस्कृति अपनाना

5.0 विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

प्रारंभ से ही विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय एमएसएमई इकाइयों और उद्योग संघों की उन्नति के लिए उनके साथ कार्य रहा है। उचित कार्मिक प्रबंधन, उत्तम स्थल उपयोगिता, वैज्ञानिक मालसूची प्रबंधन, सुधरी हुई प्रक्रिया प्रवाह, कम इंजीनियरिंग समय आदि के द्वारा उनकी विनिर्माण लागतों को घटाने के लिए एलएम तकनीकों के क्रियान्वयन के लिए वह अब एमएसएमई इकाइयों की मदद करेगा। एलएम तकनीक अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता सुधार में मदद करती है। बड़े उद्यम अपने स्वयं के बल पर पहल करने में सक्षम हैं जिसमें एलएमसी की सेवाएं लेना अनिवार्य रूप से शामिल हैं। चूंकि सेवाएं समय खपत करने वाली हैं और प्रकृति में शामिल हैं, एमएसएमई, एल एम तकनीक पर लागत लगाने में कठिनाई पाते हैं। इसलिए योजना एलएम तकनीक के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान कराने का प्रस्ताव करती है।

6.0 कार्यान्वयन ढांचा

योजना को देश भर में फैले हुए क्लस्टर्स में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रारंभ में प्रायोगिक चरण में 100 मिनी क्लस्टरों में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, भविष्य में प्राप्त सफलता के आधार पर इसे ओर क्लोस्टरों में विस्तारित किया जाएगा। योजना में निम्न प्रकार एक त्रिस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।

मिनी क्लस्टर (एमसी)

नयूनतम स्थानीय स्तर पर एक मिनी क्लस्टर गठित किया जाएगा। योजना का लाभ लेने की इच्छुक इकाइयां एलएमसी रखने के उद्देश्य के लिए एक एसपीवी संस्थापित करेंगी। इकाइयां विशिष्ट एलएम तकनीकों के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट एलएमसी के साथ कार्य करेंगी।

राष्ट्रीय निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू)

अगली उच्च स्तर टीयर, राष्ट्रीय निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) योजना के कार्यान्वयन को सरल बनाने और उसकी मानिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार होगी। 100 मिनी क्लस्टर्स के प्रायोगिक चरण के लिए यह विचार किया जाएगा कि

एनपीसी (राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्) एनएमआईयू के रूप में कार्य करेगी। मिनी क्लस्टर्स के एलएमसी और एसपीवी, एनएमआईयू को नियमित रूप से रिपोर्ट करेंगी। एनएमआईयू जांच समिति और संचालन समिति (एसएससी) को रिपोर्ट करेगी।

परीक्षण और संचालन समिति

उच्चतम स्तर पर, एसएससी योजना को समग्र निर्देशन प्रदान करेगी और संबंधित सरकारी विभागों, उद्योग संघों, तकनीकी संस्थानों, व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) इसके अध्यक्ष होंगे।

7.0 वित्तीय सहायता

योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने और एल एम तकनीकों के कार्यान्वयन की लागत के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता पर विचार किया गया है। लाभार्थी इकाई से अंशदान भी आवश्यक होगा जैसा कि भाग 12.0 में वर्णित है।

8.0 कवरेज एवं पात्रता

योजना पूरे देश में सभी इकाइयों के लिए खुली है जो एमएसएमई अधिनियम की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम के रूप में अर्हता प्राप्त करती हैं। (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006)

योजना में भाग लेने के लिए इकाइयों को 10 अथवा इतनी ही संख्या में मिल कर आपस में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक मिनी क्लस्टर बनाने की आवश्यकता है। मिनी क्लस्टरों के लिए एक एसपीवी गठित करके अपने संगठन को औपचारिक रूप देना अपेक्षित है, जिसका स्वरूप निम्न में से किसी एक के अनुसार हो सकता है :

(क) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा किसी समान्यास अधिनियम के अनुसार 'न्यास' अथवा

(ख) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी अथवा

(ग) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (इसके किसी अन्य राज्य समकक्ष सहित) के अंतर्गत एक 'समिति' अथवा

(घ) एसएससी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित कोई सामान सत्ता।

9.0 कार्यान्वयन ढांचा

उपर्युक्त वर्णनानुसार, योजना के कार्यान्वयन हेतु एक त्रिस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव किया जा रहा है। संविधान का विवरण, प्रत्येक टीयर की भूमिका और जिम्मेदारियां आदि नीचे दी गई हैं।

9.1 इकाई स्तर :

संविधान

एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार एमएसएमई श्रेणी के तहत आने वाली इकाइयाँ योजना में सहायता के लिए पात्र हैं।

प्रलेखन

संबद्ध और इच्छुक इकाइयां जो योजना के अंतर्गत पात्र हैं, उनको एक मिनी क्लस्टर गठित करने और एनएमआईयू के अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

जिम्मेदारी

इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि वे सहक्रिया, सामूहिक मोलभाव और आर्थिक पैमाने का लाभ उठाते हुए मिनी क्लस्टर गठित करने के औचित्य का मूल्यांकन करेंगी।

मिनी क्लस्टर गठित करने के लिए 10 या ऐसे (+/-2 इकाइयां) एक समूह पर कि व्यवहार्य समूह माना गया है। फिर भी, आपवादिक प्रकरणों में, अधिक या कम संख्या में इकाइयों के मिनी क्लस्टर्स पर विचार किया जा सकता है, जैसा प्रकरण दर प्रकरण आधार पर एसएससी द्वारा ठीक माना जाए।

9.2 **क्लस्टर स्तर :**

संविधान

इकाइयों से एसपीवी के रूप में एक मिनी क्लस्टर गठित करने की अपेक्षा की जाती है । एस पी वी के विभिन्न रूप जिन्हें स्वीकार्य माना गया है, उपरोक्त पैरा 8 में सूचीबद्ध हैं।

प्रलेखन

इकाइयों से उनके बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाती है। समझौता-ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे :

(क) इकाइयों की सामूहिक और संयुक्त जिम्मेदारी,

(ख) एनएमआईयू से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद एसपीवी का गठन,

(ग) योजना के निबंधन और शर्तों का पालन करने का वचन,

(घ) सहयोग करने और एलएमसी के साथ सहयोगी रूप में काम करने का वचन,

(ङ) योजना के साथ कम से कम 2 वर्षों तक काम करने का वचन,

(च) एन एम आई यू को प्रगति की आवधिक रिपोर्ट देने का वचन, और

(छ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और संपर्क के एकल बिंदु के रूप में नोडल अधिकारी की नियुक्ति।

जिम्मेदारी

एसपीवी गठित करने के लिए एनएमआईयू की शाखा/स्थानीय कार्यालय द्वारा ऐसे मिनी क्लस्टर की सहायता की जाएगी। एसपीवी स्तर पर, योजना की सभी आवश्यकताओं के लिए संपर्क बिंदु के रूप में एक नोडल अधिकारी की पहचान की जाएगी। वह मिनी क्लस्टर की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी होगा और अनुबंध-2 में दिए गए प्रारूप के अनुसार मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा।

9.3 **एनएमआईयू स्तर :**

संविधान

एनएमआईयू के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) एसएससी को रिपोर्ट करेगी। एनएमआईयू देश भर में फैले अपने प्रादेशिक कार्यालयों तथा साथ ही साथ क्लस्टरों के निकट अपने स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से भी कार्य करेगा।

जिम्मेदारी

एनएमआईयू एसपीवी से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा और वह उसे अपनी संस्तुतियों के साथ एस एस सी के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। वह विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

एनएमआईयू के मूल्यांकन दल पर उद्योग विशेषज्ञ सहयोजित कर सकेगा।

एनएमआईयू, एलएमसी से भी प्रस्ताव आमंत्रित करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा और एसएससी के अनुमोदन के लिए एलएमसी के नामों की सूची प्रस्तुत करेगा।

एन एमआईयू योजना निधियों का अलग खाता रखने के लिए जिम्मेदार होगा। एलएम तकनीक के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर और संबंधित एलएमसी के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर रिपोर्ट के विरुद्ध वह एसपीवी को सीधे निधियां जारी करेगा। एनएमआईयू, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

वह योजना की समग्र प्रगति के बारे में एसएससी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एसपीवी या एलएमसी के किसी भी गैर प्रतिक्रियाशील व्यवहार या असंतोषजनक निष्पादन, यदि कोई है, के संबंध में वह आपत्ति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

एनएमआईयू इकाइयों के लिए जागरूकता उत्पादन कार्यक्रम का उत्तरदायित्व लेने और उन्हें योजना में भाग लेने के लिए तथा एसपीवी गठित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

9.4 **एनएमआईयू में तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी)**

एनएमआईयू से उत्पादकता के मामलों से निपटने तथा उन पर निर्णय लेते हुए, संपूर्ण देश से अनेक एसपीवी/इकाइयों से निपटने की उम्मीद की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए, एनएमआईयू में एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसे उत्पादकता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा।

टीएसी में लीन विनिर्माण इन्टरवेंशनों के माध्यम से क्लस्टर विकास के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले सभी संगत क्षेत्रों के बहुमुखी अनुभव रखने वाले कम से कम 3-4 उत्पादकता सलाहकार शामिल किए जाएंगे। इसमे विकास आयुक्त (सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा।

एनएमआईयू को अपनी टीएसी सहित निम्नलिखित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा :

(क) एमसी से प्राप्त आवेदन पत्रों के मूल्यांकन और उस पर एसएससी की संस्तुति करना।

(ख) एलएमसी की आवधिक रिपोर्ट के विरुद्ध इकाई स्तर पर एलएम पड़ावों के कार्यान्वयन की फिर से जांच करना और तदनुसार इकाइयों के दावों की स्वीकृति का अनुमोदन करना।

(ग) योजना में भाग लेने वाली इकाइयों पर एसपीवी के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र दौरा आयोजित करना।

(घ) आवधिक अंतराल पर एलएमसी के लिए अभिविन्यास/बैठकें आयोजित करना।

(ङ) भाग लेने वाली इकाइयों और एलएमसी के लिए संदर्भ पुस्तकालय तथा केंद्रीय डेटा बेस का रखरखाव।

(च) भाग लेने वाली इकाइयों के लिए आवधिक कार्यशाला और बैठकें आयोजित करना।

9.5 एसएससी स्तर

कार्यान्वयन ढांचे में एसएससी शीर्ष निकाय होगा। उसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम करेंगे तथा उसमें विभिन्न स्टेकहोल्डरों, उद्योग विशेषज्ञों, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), एनएमसीसी, आईएलओ, डीजीएफएएसएलआई जैसे निकायों से नामितों तथा संबंधित एसपीवी, एनएमआईयू और एमएसएमई के वित्त स्कंध के एक प्रतिनिधि से विस्तृत प्रतिवेदन होगा।

नीति निर्माण, योजना का कार्यान्वयन और निगरानी की समूची जिम्मेदारी एसएससी की होगी। एसएससी को योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। एनएमआईयू द्वारा प्रस्तुत किए गए विषयों पर एसएससी विचार विमर्श करेगा। वह एनएमआईयू के लिए विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति बनाएगा। वह प्रत्येक आवेदन पत्र पर एनएमआईयू की सिफारिशों पर भी विचार करेगा।

9.6 लीन विनिर्माण परामर्शदाता

विनिर्माण प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित प्रमाणन एजेंसी से विधिवत पंजीकृत अथवा प्रमाणित एक व्यक्ति अथवा एक परामर्शदाता फर्म योजना में एलएमसी के रूप में भागीदारी के लिए एक पात्र सत्ता होगी। एसएससी, एलएम परामर्श सेवा के क्षेत्र में आवश्यक योग्यता और विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड सहित प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं पर पात्र सत्ता के रूप में विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

सूचीबद्धता (एम्पैनलमेंट)

एनएमआईयू पात्रता मानदंड के आधार पर सूचीबद्ध एलएमसी की सूची तैयार करेगा। इकाइयां/एमसी की ऐसी सूचियों में से एलएमसी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

एलएमसी को एनएमआईयू के मार्गदर्शन के अंतर्गत आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों/बैठकों में भाग लेना होगा। एनएमआईयू सूचीबद्ध एलएमसी के लाभ के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ऐसे कार्यक्रम लाभार्थी इकाइयों/एसपीवी/एलएमसी द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर एनएमआईयू द्वारा भी आयोजित किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षित एलएमसी की सूची को भावी एस पी वी को परिचालित की जाएगी जो विशिष्ट एमसी की योजना का उत्तरदायित्व लेने के लिए एनएमआईयू द्वारा ऐसी सूची में प्रविष्ट उपयुक्त एलएमसी की पहचान करेगा। एसएससी के परामर्श से एनएमआईयू मांगी गई फीस और अपने-अपने एमसी के लिए परामर्शदाता की उपयुक्तता के आधार पर तैयार की जाने वाली सूची से विशिष्ट एलएमसी नियुक्त करने के लिए अनुमोदन करेगा। जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है एलएमसी को एनएमआई और एसपीवी के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

नियुक्ति के पश्चात्, एलएमसी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा:

(क) संबद्ध एमसी की प्रत्येक सदस्य इकाई की वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन करना

(ख) एल एम तकनीक (पूर्व परिभाषित पड़ाव) के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कदम दर कदम प्रक्रियाएं और समय-सारणी तैयार करना।

(ग) योजना के अंत में प्रत्येक इकाई द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मात्रात्मक मानदंडों में अंतिम लक्ष्यों की पहचान करना

(घ) एल एम तकनीक कार्यान्वयन का मूल्यांकन और उसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक इकाई के साथ निकट सहयोग से कार्य करना

(ङ) एसपीवी अथवा एनएमआईयू द्वारा उनके निष्पादन के बारे में विशिष्ट पूछताछों का उत्तर देना।

एक वैयक्तिक एलएमसी से अपेक्षा की जाती है कि वह एक जगह के चारों ओर 2/3 एसपीवी से अधिक के साथ कार्य नहीं करेगा। जबकि योजना में भाग लेने वाली परामर्शदाता फर्म उसी स्थान पर स्थित कार्यालय से संचालित अधिकतम 2 एमसी प्रति पात्र कार्मिक का आबंटन करेगा। यह इकाई स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु है। प्रत्येक एस पी वी के लिए समर्पित स्रोत आरक्षित होना चाहिए। हालांकि, किसी विशेष स्थान पर एलएमसी की कमी को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी (एसएससी) द्वारा छूट दी जा सकती है।

एलएमसी का अभिमुखीकरण/बैठक

एसएससी द्वारा किसी विशेष एमसी को योजना में भागीदारी के लिए अनुमोदित किए जाने पर संबंधित एलएमसी, एनएमआईयू द्वारा संचालित अभिमुखीकरण/बैठक में भाग ले सकता है। इस चरण के बाद, एलएमसी योजना के अंतर्गत इकाइयों के साथ कार्य करेगा।

एनएमआईयू पात्र एलएमसी के लिए अभिमुखीकरण/बैठक का आयोजन करेगा। ऐसी कार्यशालाओं में एल एम सी उन विषयों को प्रस्तुत कर सकता है जो इकाई स्तर पर एल एम व्यवहार्यों के कार्यान्वयन में उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं से संबंधित हैं। एनएमआईयू चिंता को स्वीकार करेगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता तथा प्राधिकार से समाधान करने का प्रयास करेगा। यदि आवश्यकता हुई तो एनएमआईयू कुछ मामलों में एसएससी का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, एनएमआईयू ऐसे पुनश्चर्या कार्यक्रम में एलएमसी का भाग लेना अपेक्षित कर सकता है। यह एलएमसी को सहयोगियों के साथ अपने अनुभव बाटने और क्षेत्र में विकास के साथ एलएमसी को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करेगा। एलएमसी से ऐसे पुनश्चर्या कार्यक्रमों में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी।

एलएमसी को अपने व्यय पर कार्यशाला में भाग लेना होगा। कार्यशाला के संचालन की लागत एनएमआईयू द्वारा वहन की जाएगी और यात्रा तथा आवास व्यय का भुगतान एलएमसी द्वारा किया जाएगा।

10.0 समय-सीमा का कार्यान्वयन

योजना के अंतर्गत एस पी वी द्वारा सहभागिता के लिए आवेदन पत्र अनुमोदित हो जाने पर यह अपेक्षा की जाती है कि एसपीवी के तहत इकाई पर एलएम तकनीक को पूरा करने में एक वर्ष लगेगा। फिर भी, इन इकाइयों को उच्च स्तर की आवधिक रिपोर्ट देने के साथ तकनीकों को अपनाने में एक और वर्ष की आवश्यकता है।

प्रारंभ में यह अपेक्षा की जाती है कि एक वर्ष की अवधि में एमसी में 10 इकाई या इसके लगभग पर 100 मिनी क्लस्टर्स को योजना का लाभ प्राप्त होगा। फिर भी, प्रथम वर्ष के अंत में योजना के मूल्यांकन के आधार पर योजना का आगामी वर्षों में मिनी क्लस्टर्स की बड़ी संख्या को शामिल करने के लिए विस्तार किया जा सकता है।

11.0 अनुमोदन प्रक्रिया

अगर एसएससी किसी विशेष आवेदन पत्र को उपयुक्त पाता है तो वह कुछ शर्तों पूर्वोदाहरणों के अनुपालन के अधीन उसे सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करेगा। एसएससी के इस निर्णय को बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा और एनएमआईयू द्वारा एसपीवी को अनुमोदन-ज्ञापन जारी करके उसकी सूचना दी जाएगी।

तत्पश्चात् एसपीवी अनुमोदन-ज्ञापन में अनुबद्ध सीपीएस का अनुपालन करेगा और एनएमआईयू को उससे संबंधित संगत दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराएगा। एनएमआईयू सीपी के अनुपालन के लिए भली भांति निष्ठापूर्वक कार्य करेगा। यदि एक बार एनएमआईयू संतुष्ट हो जाता है कि सीपीएस का अनुपालन किया जा रहा है और उसे आगे कोई भी पूछताछ (यदि कोई हैं) की उचित प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो वह एसएससी को सूचित करते हुए स्वीकृति ज्ञापन जारी करेगा।

अपनी परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, एसपीवी एलएमसी के चयन के लिए आगे बढ़ेगा और एनएमआईयू के साथ परामर्श करके नियुक्ति की शर्तों को अंतिम रूप देगा। तत्पश्चात् एसवीपी, एनएमआईयू की शर्तों का विवरण प्रदान करेगा जो हस्ताक्षर ज्ञापन के लिए अनुमोदन जारी करेगा जो एसपीवी को एलएमसी तथा एनएमआईयू के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम करेगा।

12.0 निधि स्थानांतरण की विधियां

एलएमसी, एसपीवी को प्रदत्त सेवाओं के लिए बिल प्रस्तुत करेगा। एलएमसी को 20 प्रतिशत शुल्क का पहला हिस्सा एसपीवी द्वारा अंशदान किया जाएगा। आगे के हिस्से का अंशदान पहले एसपीवी द्वारा किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति एनएमआईयू द्वारा की जाएगी। अगर एसपीवी अग्रिम राशि चाहता है तो जीएफआर के प्रावधानानुसार एसपीवी से एक बैंक गारंटी की आवश्यकता होगी। जीएफआर प्रावधानों के अनुसार एनएमआईयू द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जो इस प्रकरण में गारंटी संस्थान है।

एनएमआईयू को निधि स्थानांतरण

राष्ट्रीय स्तर पर योजना को निर्विघ्न और तेजी से आगे बढ़ाने को सरल बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कुल राशि पर विचार करके एनएमआईयू को आवधिक रूप से स्थानांतरित किया जाएगा जिसे एनएमआईयू द्वारा खोले गए अलग खाते में रखा जाएगा। एनएमआईयू पूर्व निश्चित शर्तों का अनुपालन करते हुए निधियां ले सकता है। एनएमआईयू वित्तीय स्थिति संबंधी रिपोर्ट तैयार करेगा और एसएससी को आवधिक रूप से रिपोर्ट करेगा। एनएमआईयू, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के कार्यालय को आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

एसपीवी को निधि स्थानांतरण

एनएमआईयू, एसपीवी को परियोजना के लिए खोले गए उनके पृथक खाते में निधियों का स्थानांतरण करेगा। निधियों का यह स्थानांतरण एसपीवी द्वारा एलएमसी को भुगतान की गई फीस की राशि के लिए होगा जिसे एलएमसी के संतोषजनक निष्पादन और कथित पड़ाव प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट की क्रास चेकिंग के पश्चात उसी पड़ाव को प्राप्त करने के लिए किया गया है। एनएमआईयू, एसपीवी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य मांगेगा, जो प्रगति रिपोर्ट का भी हिस्सा होगा।

एलएमसी पांच स्तरों में विभाजित पूर्व निश्चित पड़ाव के अनुसार एलएम तकनीक को कार्यान्वित करेगा। एसपीवी द्वारा एलएमसी को भुगतान पर प्रत्येक 20 प्रतिशत का पांचवां हिस्सा पड़ाव के आधार पर होगा। प्रथम चरण को प्राप्त करने के पश्चात् एसपीवी, एलएमसी को अपने अंशदान का भुगतान करेगा। अलग पड़ाव प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का हिस्सा एनएमआईयू द्वारा एसपीवी को स्थानांतरित किया जाएगा जो संबंधित फीस के लिए एलएमसी को भुगतान करेगा।

अनुबंध 1

विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण, भवन, नई दिल्ली–110 108 की लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्कता योजना में सहभागिता के लिए एमसी/एसपीवी द्वारा आवेदन पत्र का स्वरूप

दिनांक :....................................

इकाई का नाम और पता

दूरभाष संख्या फैक्टरी एवं कार्यालय

ई–मेल तथा फैक्स

विषय : लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना में सहभागिता के लिए आवेदन पत्र

महोदय,

हम अधोहस्ताक्षरी, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। हमने योजना के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है। इच्छुक उद्योगों का विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक	कंपनी का नाम	टेलीफोन नं., ई–मेल एवं फैक्स सहित पता	उत्पाद	ई.एम.नं., जारी करने की दिनांक, जारीकर्ता (प्रतिलिपि संलग्न)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

हमने अपने परिसर में उत्पाद निर्माण का मूल्यांकन किया है और हम अनुभव करते हैं कि हम लीन विनिर्माण तकनीक का उपयोग करके दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अनुसरण में हम विशेष प्रायोजन वाहन को सम्मिलित करना चाहते हैं जिसका नाम ....जो.. अधिनियम,
वर्ष के अंतर्गत शामिल है। इस संबंध में इकाइयों के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, और इकाइयों ने संयुक्त रूप से योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से अपनी ओर से प्रेषण हेतु अधोहस्ताक्षरी को मुख्तारनामा के साथ नामित किया है। समझौता-ज्ञापन और मुख्तारनामा की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

आपका,

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

संलग्नक :

1. समझौता-ज्ञापन
2. मुख्तारनामा

अनुबंध 2

मुख्तारनामा
(एमसी द्वारा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को)

(संबंधित मूल्य के स्टाम्प पेपर में)
मुख्तारनामा

जबकि विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना के कार्यान्वयन के लिए एक योजना की घोषणा की है।

जबकि, योजना का लाभ लेने वाली उद्योग इकाइयां योजना की आवश्यकता के अनुसार मिनी क्लस्टर गठित करने और योजना तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार, अपने उद्योगों में लीन विनिर्माण तकनीकों को अपनाने के इच्छुक हैं।

जबकि, मिनी क्लस्टर के सदस्यों के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इकाइयों की ओर से तथा उनके लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए मिनी क्लस्टर के प्रस्ताव के संबंध में आवश्यकतानुसार सभी कार्य, कृत्य तथा चीजें करने हेतु समस्त आवश्यक अधिकारों के साथ एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है, जिसके पास संयुक्त रूप से काम करते हुए, मिनी क्लस्टर की ओर से, योजना के लिए मिनी क्लस्टर के आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यकतानुसार सभी कार्य, कृत्य तथा चीजें करने के लिए आवश्यक शक्ति और प्राधिकार हैं।

अब इस मुख्तारनामे को सांक्ष्यांकित किया जाता है कि :

हम, मैसर्स..

....

....

....एतद्द्वारा योजना के संबंध में

आवेदन पत्र/प्रस्ताव की प्रस्तुति, सम्मेलनों में भाग लेने, पूछताछों का उत्तर देने, सूचना/दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण करने, और आमतौर पर परीक्षण एवं संचालन समिति, राष्ट्रीय निगरानी तथा कार्यान्वयन इकाई, लीन विनिर्माण सलाहकार, विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी अथवा व्यक्ति के साथ सभी कार्यों में मिनी क्लस्टर का प्रतिनिधित्व करने सहित, मिनी क्लस्टर के लिए श्री/श्रीमती.. को मिनी क्लस्टर के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हैं।

हम एतद्द्वारा नोडल अधिकारी द्वारा विधिसम्मत किए गए सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों की अभिपुष्टि करने के लिए सहमत हैं। हमारे कथित अटार्नी इस मुख्तारनामे के अनुवर्ती एवं हमारे कथित अटार्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य अथवा चीजें सदैव हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

दिनांक..........................का..............वां दिन

....

(कार्यान्वयनकर्ता)
(कंसोर्टियम के सभी सदस्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा)

टिप्पणी

टिप्पणी